रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 288] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 1972/पौष 1, 1894

No. 288] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 1972/PAUSA 1, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 22nd December 1972

SUBJECT—*Import of Dates [S. No. 21(b)/IV] from Iraq during September, 1972—March, 1973 licensing period on annual basis—Grant of supplementary licences.*

No. 189-ITC(PN)/72.—It has been decided to grant supplementary licences for import of dates from Iraq, on a quota of 15 per cent of their best year's past imports within the prescribed basic period, namely, 1956-57 to 1969-70, to those established importers, who have already been granted licences for import of dates from Iraq, in terms of Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 95-ITC(PN)/72 dated 1st July, 1972 and Public Notice No. 166-ITC(PN)/72 dated 22nd November, 1972. These supplementary licences will be subject to a minimum of Rs. 1,875 (Rupees one thousand eight hundred and seventy five only).

2. The importers, who were eligible in terms of the annexure to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 95-ITC(PN)/72 dated 1st July, 1972; and were granted licences, on an equal value basis of Rs. 12,500 each (Rupees twelve thousand and five hundred only) in terms of paragraph 4 of the aforesaid Public Notice dated 1st July, 1972, will also be granted supplementary licences for

Rs. 1,875 each (Rupees one thousand eight hundred and seventy five only), subject to the provision contained in paragraph 45(2) of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1972-73, with regard to division of quotas.

3. Such importers, who are eligible for grant of supplementary licences in terms of this Public Notice, may submit their applications to the concerned licensing authority, from whom they had obtained main/additional licences, in terms of the aforesaid Public Notices dated 1st July 1972 and 22nd November, 1972, by the 22nd January, 1973.

4. Applications should be submitted in the prescribed form and manner complete with additional Treasury Receipts, indicating therein the full details, *i.e.*, number, date and value of the main/additional licences, obtained by the eligible importers. All incomplete applications are liable to be rejected.

5. Licences issued in terms of this Public Notice will be valid for import of Dates from Iraq, subject to the condition that not less than 60 per cent of the face value of the licence shall have to be utilised for import of "Dates" from Iraq by Sailing vessels only and the balance 40 per cent by steamers etc.

6. The licences issued in terms of this Public Notice will be valid upto the 31st March, 1973, from the date of issue and no further extension in the validity period of the licences will be granted.

7. The provisions of paragraph 77(1) and 77(2) of Section I of the Import Trade Control Policy Book (Vol. I) for the period April 1972—March 1973, relating to minimum and maximum value of licences will not apply to the licences issued in terms of this Public Notice.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1972

विषय :—वार्षिक आधार पर खजूरों [क्रम संख्या 21(बी)/4] का सितम्बर, 1972—मार्च, 1973 के दौरान ईराक से आयात—पूरक लाइसेंस प्रदान करना।

संख्या 189—आई०टी०सी० (पीएन)/72.—यह निश्चय किया गया है कि उन सुस्थापित आयातकों को जिन्हें विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 95—आई०टी०सी० (पी एन)/72, दिनांक 1 जुलाई, 1972 तथा सार्वजनिक सूचना संख्या 166 आई०टी०सी० (पीएन) 72, दिनांक 22 नवम्बर, 1972 की शर्तों के अनुसार ईराक से खजूरों के आयात के लिए लाइसेंस पहले ही प्रदान किए गए हैं, उन्हें ईराक से खजूरों के आयात के लिए निर्धारित आधार भूत अवधि अर्थात् 1956–57 से 1969–70 के भीतर अतीत के आयातों के उनके सर्वोत्तम वर्ष के 15 प्रतिशत के कोटे के आधार पर पूरक लाइसेंस प्रदान किए जाएं। ये पूरक लाइसेंस न्यूनतम 1,875 रुपये (एक हजार आठ सौ पचहत्तर रुपये) के अधीन होंगे।

2. वे आयातक जो विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 95—आई०टी०सी (पीएन)/72, दिनांक 1 जुलाई, 1972 के लिए अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार पात्र थे और जिन्हें उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना दिनांक 1 जलाई, 1972 की कंडिका 4 की शर्तों के अनुसार प्रत्येक 12,500 रुपये (केवल बारह हजार पांच सौ रुपये) के एक समतुल्य मुल्य के आधार पर लाइसेंस प्रदान किए गए थे, उन्हें भी प्रत्येक 1,875 रुपये (केवल एक हजार आठ सौ पचहत्तर रुपये) के लिए पूरक लाइसेंस

प्रदान किए जायेंगे और यह कोटे के बंटवारे के सम्बन्ध में आयात व्यापार नियंत्रण हैंडबुक, क्रिया विधि 1972–73 की कंडिका 45(2) में निहित व्यवस्था के अधीन है।

3. ऐसे आयातक जो इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार पूरक लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए पात्र हैं, वे अपना आवेदन-पत्र 22 जनवरी, 1973 तक उस संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे उन्होंने उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना दिनांक 1 जुलाई, 1972 तथा 22 नवम्बर, 1972 की शर्तों के अनुसार मुख्य अतिरिक्त लाइसेंस प्राप्त किए थे।

4. आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र तथा विधि अनुसार पूर्ण अतिरिक्त राजकोष प्राप्तियों के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए और उन में पूर्ण ब्यौरों अर्थात् पात्र आयातकों द्वारा प्राप्त किए गए मुख्य/अतिरिक्त लाइसेंसों की संख्या, दिनांक तथा मूल्य का संकेत करना चाहिए। सभी अपूर्ण आवेदन-पत्र अस्वीकृत किए जाने योग्य हैं।

5. प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुसार जारी किए गए लाइसेंस इस शर्त के अधीन ईराक से खजूरों के आयात के लिए वैध होंगे कि ईराक से "खजूरों" के आयात के लिए लाइसेंस के अंकित मूल्य का 60 प्रतिशत तक का उपयोग केवल जलपोत द्वारा किया जाएगा और शेष 40 प्रतिशत का स्टीमर आदि द्वारा।

6. प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुसार जारी किए गए लाइसेंस जारी होने की तिथि से लेकर 31 मार्च, 1973 तक वैध होंगे और लाइसेंसों की वैधता में और आगे वृद्धि के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

7. अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा० 1) के खंड 1 की कंडिका 77(1) तथा 77(2) में लाइसेंस के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य से सम्बन्धित व्यवस्थाएं प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुसार जारी किए गए लाइसेंसों के लिए लागू नहीं होंगी।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972